सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
	साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
	श्रावण 30, शुक्रवार, शाके 1942–अगस्त 21, 2020 *Sravana 30 , Friday, Saka 1942–August 21, 2020*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 21, 2020

संख्या एफ. 13(19)विशा/विस/2020 :-राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020 जैसा कि दिनांक 21 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

2020 का विधेयक **सं.19**

राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 को निरसित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 का निरसन.- राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 38) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अपराधों के कतिपय वर्ग के त्वरित विचारण के लिए और अन्तर्वलित सम्पत्तियों के अधिहरण के लिए विशेष न्यायालयों के गठन हेतु उपबंध करने के लिए राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 38) अधिनियमित किया गया था और राजस्थान राजपत्र, असाधारण में दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित किया गया था।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) की धारा 4 और 13(1) में किये गये संशोधनों और उसमें नयी धारा 18क के अंत:स्थापन को देखते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के साथ पठित अनुच्छेद 246 में अंतर्विष्ट उपबंध के फलस्वरूप 2012 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 ने अपना अस्तित्व खो दिया है।

चूंकि उक्त केन्द्रीय विधायन में राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 38) की विषय-वस्तु समाविष्ट कर ली गयी है, इसलिए 2012 का अधिनियम अप्रचलित हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित है कि राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 38) को निरसित कर दिया जाये।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 को निरसित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No. 19 of 2020

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN SPECIAL COURTS (REPEAL) BILL, 2020
(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A
Bill
to repeal the Rajasthan Special Courts Act, 2012.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Special Courts (Repeal) Act, 2020.

(2) It shall come into force at once.

2. Repeal of Rajasthan Act No. 38 of 2012.-The Rajasthan Special Courts Act, 2012 (Act No. 38 of 2012) is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To provide for the constitution of Special Courts for the speedy trial of certain class of offences and for confiscation of the properties involved the Rajasthan Special Courts Act, 2012 (Act No. 38 of 2012) was enacted and published in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, dated December 11, 2012.

In view of amendments made in sections 4 and 13(1) and insertion of new section 18A in the Prevention of Corruption Act, 1988 (Central Act No. 49 of 1988), the Rajasthan Act No. 38 of 2012 loses its existence by virtue of the provision contained in article 246 read with article 254 of the Constitution of India.

Since the Central Legislation has covered the subject of the Rajasthan Special Courts Act, 2012 (Act No. 38 of 2012) the Act of 2012 has become obsolete. In view of this, it is proposed that the Rajasthan Special Courts Act, 2012 (Act No. 38 of 2012) be repealed.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,

Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to repeal the Rajasthan Special courts Act, 2012.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAMIL KUMAR MATHUR,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.